दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आरक्षित तिथि: 01अप्रैल, 2024

उद्घोषित तिथि: 05 अप्रैल 2024

सि.वा.(वाणि) 88/2021 तथा अंत.आ. 78/2023

द भक्तिवेदांता बुक न्यास इंडिया .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री साईकृष्णा राजगोपाल, श्री हिमांशु बगई, सुश्री दीपशिखा सरकार एवं सुश्री भानु, अधिवक्तागण

बनाम

डब्लूडब्लूडब्लू.फ्रैंडस्विदबुक.कॉ .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सिद्धार्थन,अधिवक्ता (वीसी के माध्यम से)।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिष दयाल

<u>निर्णय</u>

<u>अनीष दयाल, न्या.</u>

<u>अंत.आ.78/2023 (*सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के तहत आवेदन*)</u>

1. यह आवेदन वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सि.प्र.सं.") के आदेश XIII क के तहत दायर किया गया है, जिसमें वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के

विरूद्ध संक्षिप्त निर्णय की मांग की गई है।

2. इस आवेदन के उद्देश्य हेतु विचाराधीन विवाद्यक यह है कि क्या एक संन्यासी (त्यागी) अपनी रचना के साहित्यिक कार्यों में प्रतिलिप्यधिकार का हकदार है। तथ्यात्मक संदर्भ इस प्रकार है:

<u>पृष्ठभूमि तथ्य</u>

2.1 भक्तिवेदांत बुक न्यास इंडिया ("**वादी न्यास/वादी**") बॉम्बे पब्लिक न्यास्स एक्ट, 1950 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास है। यह परम पूज्य ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ("**श्रील प्रभुपाद**") की पुस्तकों, लेखों एवं भाषणों के मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण में लगा हुआ है, जो वादी न्यास के लेखक/सेटलर हैं।

2.2 श्रील प्रभुपाद एक विद्वान, दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, विपुल लेखक तथा वैदिक साहित्य के व्याख्याता थे। ऐसा दावा किया जाता है कि उन्होंने वर्ष 1959 में अपनी सांसारिक संपत्ति त्याग दी तथा *संन्यासी* बन गए और वर्ष 1965 में अमेरिका चले गए। उन्होंने 'इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस' ("**इस्कॉन**") की स्थापना की।

2.3 इस्कॉन को वर्ष 1971 में बॉम्बे पब्लिक न्यास एक्ट, 1950 के तहत बॉम्बे में पंजीकृत किया गया था। अपने जीवनकाल में, श्रील प्रभुपाद ने हजारों व्याख्यान दिए, अपनी शिक्षाओं के असंख्य पत्र एवं पुस्तकें लिखीं, जो मूल रूप से प्राचीन

वैदिक ग्रंथों के साथ-साथ भगवद गीता के अनुवाद एवं व्याख्याएँ थीं। इन पुस्तकों का उपयोग इस्कॉन के प्रचार हेतु प्राथमिक माध्यम के रूप में किया गया, जो अंततः एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया।

2.4 वादी न्यास की स्थापना वादी न्यास के संस्थापक के रूप में श्रील प्रभुपाद द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1972 को एक न्यास विलेख ("**न्यास विलेख**") द्वारा की गई थी। इसे चैरिटी कमिश्नर (पंजीकरण संख्या ई-5032) के साथ पंजीकृत किया गया था, तथा श्रील प्रभुपाद भी न्यास के पहले तीन न्यासियों में से एक थे। न्यास विलेख के विवरण में कहा गया है कि सेटलर को अपने लेखन में प्रतिलिप्यधिकार तथा अधिकार प्राप्त थे; एवं खंड 1 के अनुसार, उन्होंने न्यासियों को उक्त लेखन में प्रकाशन अधिकार सौंपे; तथा न्यासियों ने खंड 2 में स्वीकार किया कि उनके पास न्यास के उद्देश्यों (खंड 4 में वर्णित) के अनुरूप न्यास की संपत्ति के रूप में उक्त अधिकार (उनके लेखन के प्रतिलिप्यधिकार तथा प्रकाशन अधिकार) हैं।

2.5 दिनांक 15 जनवरी, 1975 की पुष्टि विलेख के तहत, सेटलर (श्रील प्रभुपाद) ने न्यास विलेख की विषय-वस्तु की पुष्टि की, तथा उनके द्वारा लिखित कार्यों का प्रतिलिप्यधिकार वादी न्यास को सौंप दिया गया।

2.6 श्रील प्रभुपाद का निधन नवंबर 1977 में हुआ। वादी न्यास ने उनकी पांडुलिपियों, लेखों एवं भाषणों को संपादित और प्रारूपित किया तथा उन्हें पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया। वादी न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में श्रील प्रभुपाद के

लेखन पर आधारित 70 से अधिक खंड शामिल हैं। इन प्रकाशनों ने बहुत प्रसिद्धि एवं सफलता प्राप्त की, विशेष रूप से दुनिया भर में इसकी पहुंच में, तथा वर्तमान में इसके अनुवाद के कई सौ संस्करण प्रसारित किए जा रहे हैं।

2.7 वादी द्वारा दावे के अनुसार, दिसंबर 2020 में इंटरनेट पर एंटी-पायरेसी अभियान के दौरान, यह पता चला कि कुछ वेबसाइट, जैसे कि प्रतिवादी की *www.friendwithbooks.co,* कुछ पुस्तकों की पूरी प्रतियां ले जा रही थीं, जिनका प्रतिलिप्यधिकार वादी न्यास के पास है। प्रतिवादी सहित किसी भी तीसरे पक्ष को पुस्तकों को पुनः प्रस्तुत करने, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में संग्रहीत करने, उन्हें जनता को संप्रेषित करने या ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाने के लिए अधिकृत नहीं करने के कारण, वादी ने **प्रतिलिप्यधिकार** अधिनियम, 1957 की धारा 14(क) के तहत प्रतिवादी को उनके **प्रतिलिप्यधिकार** का उल्लंघन करने से रोकने हेतु स्थायी व्यादेश की डिक्री की मांग करते हुए तत्काल वाद दायर किया।

3. आपत्तिजनक वेबसाइट पर पाई गई पुस्तकों को वादी द्वारा निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है:

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	भाषा
1.	भगवद् गीता यथारूप	अंग्रेज़ी
2.	श्रीमद् भागवतम् सर्ग 5	अंग्रेज़ी

3.	श्रीमद् भागवतम् सर्ग 12	अंग्रेज़ी
4.	आत्म-साक्षात्कार का विज्ञान	अंग्रेज़ी
5.	आध्यात्मिक योग	अंग्रेज़ी
6.	चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1	अंग्रेज़ी
7.	भगवद् गीता यथारूप	हिंदी
8.	श्रीमद् भागवतम् सर्ग 1	हिंदी
9.	श्रीमद् भागवतम् सर्ग 5	हिंदी
10.	श्री चैतन्य-चरितामृत आदि-लीला, खंड 1	हिंदी
11.	राज-विद्या, ज्ञान का राजा	हिंदी
12.	प्रह्लाद महाराज की दिव्य शिक्षाएँ	हिंदी
13.	दूसरा अवसर	हिंदी
14.	भगवद् गीता यथारूप	मराठी
15.	श्रीमद् भागवतम् सर्ग 1	मराठी
16.	श्रीमद् भागवतम् सर्ग 5	मराठी
17.	श्री चैतन्य-चरितामृत आदि-लीला, खंड 1	मराठी
18.	जन्म और मृत्यु से परे	मराठी
19.	कृष्ण भावनामृत: सर्वोच्च योग प्रणाली	मराठी
20.	प्रह्लाद महाराज की दिव्य शिक्षाएँ	मराठी

21.	भगवद् गीता यथारूप	गुजराती
22.	श्रीमद् भागवतम् सर्ग 1	गुजराती
23.	कृष्णा आनंद संग्रह	गुजराती
24.	कृष्ण के मार्ग पर	गुजराती
25.	योग की पूर्णता	गुजराती
26.	कृष्ण के मार्ग पर	तेलूगू
27.	राज-विद्या, ज्ञान का राजा	तेलूगू
28.	प्रह्लाद महाराज की दिव्य शिक्षाएँ	तेलूगू
29.	श्री चैतन्य-चरितामृत (आदि-लीला प्रथम खंड)	तेलूगू
30.	जन्म और मृत्यु से परे	तेलूगू
31.	कृष्ण के मार्ग पर	तमिल
32.	श्रीमद् भागवतम् सर्ग 1	तमिल
33.	श्री चैतन्य-चरितामृत आदि-लीला, खंड-1	तमिल
34.	जन्म और मृत्यु से परे	तमिल
35.	भगवद् गीता यथारूप	तमिल
36.	श्रीमद् भागवतम् सर्ग 1	उड़िया
37.	श्री चैतन्य-चरितामृत (आदि-लीला, खंड-1)	उड़िया

38.	जन्म और मृत्यु से परे	उड़िया
39.	बच्चों के लिए भगवद गीता	उड़िया
40.	भगवद् गीता यथारूप	बांग्ला
41.	प्रह्लाद महाराज की दिव्य शिक्षाएँ	बांग्ला
42.	श्री चैतन्य-चरितामृत आदि-लीला 1	बांग्ला
43.	श्रीमद् भागवतम् सर्ग 1	बांग्ला
44.	राज-विद्या, ज्ञान का राजा	नेपाली
45.	उत्तम प्रश्न उत्तम उत्तर	नेपाली
46.	पूर्णता का मार्ग	कन्नड़
47.	भगवद् गीता यथारूप	कन्नड़
48.	प्रकृति के नियम	कन्नड़
49.	प्रह्लाद महाराज की दिव्य शिक्षाएँ	कन्नड़
50.	जन्म और मृत्यु से परे	असमिया

4. फरवरी, 2021 में, इस न्यायालय ने प्रतिवादी, उसके निदेशकों, स्वामियों, प्रमुख अधिकारियों, सेवकों, एजेंटों, समनुदेशितियों, प्रतिनिधियों तथा उसके लिए और उसकी ओर से काम करने वाले अन्य सभी लोगों को किसी भी भौतिक रूप

में वादी की पुस्तकों एवं कलाकृतियों की पुनरुत्पादन में संलग्न होने या अधिकृत करने से एक *एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश* प्रदान की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उनका भंडारण, पुस्तकों (ध्वनि रिकॉर्डिंग के माध्यम से) तथा कलाकृतियों को जनता तक संप्रेषित करना, *www.friendwithbooks.co* सहित किसी भी वेबसाइट के माध्यम से वादी की पुस्तकों एवं कलाकृतियों की प्रतियां जारी करना, या उनकी पुस्तकों और कलाकृति में वादी के प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन के बराबर कोई अन्य कार्य करना शामिल है।

5. इसके बाद, एक नोटिस के अनुसार, प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा निर्देशों पर कहा कि, व्यादेश आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी ने वादी की पुस्तकों, कलाकृतियों एवं ध्वनि रिकॉर्डिंग से संबंधित सभी संदर्भों और सामग्री को सभी संभावित मीडिया, डिजिटल या अन्यथा, उनकी वेबसाइट *www.friendwithbooks.co* से हटा दिया। उक्त कथन को इस न्यायालय ने दिनांक 15 फरवरी, 2024 को अभिलेख पर लिया तथा इसलिए दिनांक 22 फरवरी, 2021 का अंतरिम आदेश निरपेक्ष माना गया।

6. परिणामस्वरूप, संक्षेप निर्णय की मांग करने वाला यह आवेदन वादी द्वारा दबाया गया था। जबकि प्रतिवादी के अधिवक्ता को वादी के पक्ष में दिए जाने वाले वाद में मांगी गई राहत के संबंध में कोई झगड़ा या विवाद नहीं था, एक मौलिक आपत्ति यह उठाई गई थी कि *एक संन्यासी,* जैसा कि श्रील प्रभुपाद थे, अपने

कार्यों में प्रतिलिप्यधिकार के मालिक नहीं हो सकते थे, क्योंकि त्याग के बाद, संपत्ति का कोई स्वामित्व नहीं हो सकता था, क्योंकि त्याग एक नागरिक मृत्यु के समान है।

7. इस मुद्दे पर वादी तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा किए गए संबंधित प्रस्तुतियों पर कुछ विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

<u>वादी की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

8. वादी के अधिवक्ता श्री साईकृष्ण राजगोपाल ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

8.1 उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी विधि या न्यायाधीश द्वारा बनायी गयी विधि के तहत किसी *संन्यासी* को बौद्धिक संपदा सहित निजी संपत्ति रखने से रोकने का कोई विधिक प्रतिबन्ध नहीं है।

8.2 प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा दावा किया गया कि 'नागरिक मृत्यु' की अवधारणा सबसे अच्छी स्थिति में बिना वसीयत के उत्तराधिकार की स्थिति में उत्पन्न हुई, जहाँ मृतक का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। किसी भी विधि में त्यागी की विधिक स्थिति पर विचार करने का कोई संदर्भ नहीं है।

8.3 ***स्वामी डॉ. किशोर दास जी बनाम राज्य व अन्य,*** 2012 एससीसी ऑनलाइन डेल 3903 में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया कि *स्वामी* के पास संपत्ति

रखने या वसीयत बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तथा एक *संन्यासी* विधि के अनुसार संपत्ति रखने तथा उसे वसीयत करने में सक्षम है। एकल न्यायाधीश द्वारा ***मठ सौना बनाम केदार नाथ उर्फ उमा शंकर,*** (1982) 1 एससीआर 659 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया।

8.4 ***सुलामंगलम आर. जयलक्ष्मी व अन्य बनाम मेटा म्यूजिकल्स व अन्य,*** 2000 3 एलडब्लू 38 में मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनांक 16 जून, 2000 को दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक स्वामी की संगीत रचनाओं के संदर्भ में, जो "सुला-मंगलम बहनों" द्वारा प्रस्तुत की गई थीं, प्रतिलिप्यधिकार के बाद के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उठाई गई आपत्ति को अस्वीकार कर दिया, कि चूंकि स्वामी एक तपस्वी थे जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया था, इसलिए वह रचना के मालिक नहीं हो सकते तथा उन्हें इसे सौंपने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, यह माना गया कि प्रतिलिप्यधिकार विधि द्वारा दिया गया अधिकार है तथा इसे केवल प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाना चाहिए तथा यह तर्क कि *संन्यासी* द्वारा त्याग के कारण ऐसा अधिकार समाप्त हो जाता है, असमर्थनीय है।

8.5 प्रतिलिप्यधिकार का हस्तांतरण प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आता है, जबकि हस्तांतरण का तरीका अधिनियम की धारा 19 के

अंतर्गत निर्धारित है। श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवनकाल में प्रतिलिप्यधिकार को विशेष रूप से वादी न्यास को सौंपा था; इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि *संन्यासी* बनने पर उनका अधिकार समाप्त हो गया था।

<u>प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुतियां</u>

9. हालांकि, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने कहा कि श्रील प्रभुपाद की स्थिति मठवासी व्यवस्था में स्वामी के समान नहीं थी तथा इसलिए, *एक संन्यासी* से अधिकारों का हस्तांतरण विधि के तहत स्वीकार्य नहीं हो सकता है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि स्वामी द्वारा त्याग किए जाने पर अधिकारों के उन्मूलन से संबंधित कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं था।

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

10. पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख में उपलब्ध विषय-वस्तु का अवलोकन किया गया।

11. इस न्यायालय की राय में, इस मुद्दे का मूल्यांकन एवं परीक्षण विशुद्ध रूप से विधिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, न कि त्यागी के अधिकारों की व्यापक आधी-अधूरी समझ के परिप्रेक्ष्य से किया जाना चाहिए।

12. पक्षकारों के अधिवक्तागण ने किसी भी ऐसी विधि का हवाला नहीं दिया है जो त्यागी को मूर्त या अमूर्त संपत्ति रखने से रोकता हो। इस संबंध में किसी भी

वैधानिक ढांचे या किसी विधि, नियम या नीति की कमी के कारण, इस मुद्दे को न्यायिक निर्धारण के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

13. त्यागी वह व्यक्ति होता है जो कथन, उच्चारणों, लिखित या अन्य तरीके से अपनी संपत्ति, अधिकार या दावों का त्याग करता है या उन्हें छोड़ देता है। इस अवधारणा का विधिक जुड़वाँ शब्द "त्याग" में पाया जा सकता है। त्याग का कार्य तथा परिणाम निश्चित रूप से संपत्ति विधि, वसीयत विधि, अनुबंध विधि, साथ ही बौद्धिक संपदा विधि सहित विभिन्न विधियों में अभिव्यक्त होता है।

14. अपने जीवन के दौरान, इस दुनिया में एक इंसान जन्म, उपहार, हस्तांतरण या अधिग्रहण के माध्यम से मूर्त या अमूर्त संपत्ति का हकदार बन जाता है। संपत्ति में ऐसे अधिकार के स्वामित्व, कब्जे, हस्तांतरण, आनंद तथा शोषण के विभिन्न पहलू इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

15. इस निर्धारण के प्रयोजनों हेतु इन मुद्दों पर गहनता से विचार करना और विस्तार करना आवश्यक नहीं है। जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि जो व्यक्ति संसार का त्याग करना चाहता है तथा विधि में संपत्ति के अपने अधिकारों को छोड़ना चाहता है, उसे त्याग के मान्यता प्राप्त नियमों के भीतर ऐसा करना चाहिए।

16. जहां तक प्रतिलिप्यधिकार त्यागने के अधिकार का संबंध है, यह

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत आता है, जिसे त्वरित संदर्भ हेतु निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

> "21. ***प्रतिलिप्यधिकार को त्याग देने का रचयिता का अधिकार*** (1) *किसी कृति का रचयिता, उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार में समाविष्ट सब अधिकारों या उनमें से किन्हीं को प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में या लोक सूचना के रूप में। सूचना देकर त्याग सकेगा और तब ऐसे अधिकार, उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन, सूचना की तारीख से अस्तित्व में नहीं रहेंगे।*
>
> *(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना मिलने पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार उसे शासकीय राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जैसी वह ठीक समझे, प्रकाशित कराएगा।*
>
> *'[(2क) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार राजपत्र में सूचना के प्रकाशन से चौदह दिन के भीतर प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की शासकीय वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित करेगा जिससे कि यह तीन वर्षों से अन्यून अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बनी रहे ।]*
>
> *(3) किसी कृति में प्रतिलिपधिकार में समाविष्ट सब अधिकरों या उनमें से किन्हीं का त्याग, ऐसे किन्हीं अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जिनका अस्तित्व उपधारा (1) में विर्दिष्ट सूचना की तारीख को किसी व्यक्ति के पक्ष में हो।*

17. प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रतिलिप्यधिकार के त्याग के प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने वाले एक निर्धारित प्रपत्र का प्रावधान करता है। प्रावधान में निहित अनुपालन के अधीन, लेखक के पक्ष में प्रतिलिप्यधिकार समाप्त हो जाता है। यह

किसी का मामला नहीं है कि श्रील प्रभुपाद ने अपने साहित्यिक कार्यों में अपने प्रतिलिप्यधिकार का ऐसा कोई त्याग किया था।

18. अतः, कानून के अनुसार, चाहे संन्यासी हो या कोई और, त्याग निश्चित रूप से नहीं हुआ है। हालाँकि, जो हुआ वह यह है कि श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवनकाल में ही न्यास विलेख में अपना अधिकार वादी न्यास को सौंप दिया था।

19. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत समनुदेशन को मान्यता दी गई है तथा धारा 19 के तहत समनुदेशन का तरीका लिखित रूप में होना अनिवार्य है, इसलिए, यह इस स्थिति पर पूरी तरह लागू होती है। यह भी किसी का मामला नहीं है कि श्रील प्रभुपाद द्वारा समनुदेशन उचित नहीं था या प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता था।

20. इसलिए, इस बात पर विचार-विमर्श किया जाना बाकी है कि क्या उनके स्वयं के कार्यों में प्रतिलिप्यधिकार ने वर्ष 1959 में स्वयं घोषित त्याग को समाप्त कर दिया था। क्या किसी विश्वास, आस्था या धार्मिक या आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार त्याग का कार्य, विधि में, किसी व्यक्ति में संपत्ति के अधिकारों को समाप्त करने के बराबर है? जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह पहलू किसी विधि में शामिल नहीं है।

21. इस पहलू पर न्यायिक चिंतन, वादी के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों में

परिलक्षित होता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इनकी जांच करना सार्थक होगा।

22. कालक्रम के अनुसार, सबसे पहले ***मठ सौना*** (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है, जो वर्ष 1981 का निर्णय था। उक्त निर्णय में, एक मंदिर के महंत ने अपने पूर्ववर्ती की मृत्यु के बाद सभी संपत्तियों पर अधिकार का दावा किया था। उच्च न्यायालय ने माना कि संपत्तियां न तो मठ की हैं तथा न ही देवता की, बल्कि पूर्ववर्ती महंत की व्यक्तिगत एवं अलग संपत्तियां हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि संन्यासियों के कुछ संप्रदाय अपनी निजी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। उक्त निर्णय से संबंधित अंश नीचे प्रस्तुत है:

> *"6. मठ सौना के महंत एवं सदस्य दशनामी संन्यासी संप्रदाय के थे। अभिलेख पर मौजूद सामग्री यह स्थापित करती है कि वे निजी संपत्ति के मालिक हो सकते थे तथा उसे अपने पास रख सकते थे। इनमें वे संन्यासी भी शामिल थे जो पहले विवाहित पुरुष और गृहस्थ थे, वे पुरुष जो गृहस्थ आश्रम से गुजरे थे। उनमें से कुछ ने संन्यास लेने के बाद भी निजी संपत्ति रखना और यहाँ तक कि उसे हासिल करना जारी रखा। सुशील चंद्र सेन बनाम गोबिंद चंद्र दास [एआईआर 1934 पैट 431 : 150 1सी 61] में यह देखा गया था कि दशनामी संन्यासी व्यापारिक दुनिया में स्वतंत्र रूप से घुलमिल जाते थे तथा व्यापार करते थे और अक्सर संपत्ति जमा करते थे। इस न्यायालय ने गुरचरण प्रसाद बनाम पी. कृष्णानंद गिरि [एआईआर 1968 एससी 1032: (1968) 2 एससीआर 600] में*

पुष्टि की कि निहंग दशनामी संन्यासी धन-उधार देने का व्यवसाय कर सकते संन्यासियों के कुछ संप्रदाय व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, इस बात को प्रख्यात न्यायाधीश डॉ. बी.के. मुखर्जी ने अपने हिंदू लॉ ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल न्यास्स [चौथा संस्करण, पृ. 358, 359, § 757, 758] में स्वीकार किया है, जहां वे कहते हैं:

"एक मोहंत, तथा उसके मामले में, कोई भी अन्य संन्यासी अपनी निजी संपत्ति अर्जित कर सकता है.... एक मोहंत को दिए गए प्रणाम आम तौर पर उसकी निजी संपत्ति होते हैं.... केवल इस तथ्य से कि एक मोहंत एक तपस्वी है, यह कोई अनुमान नहीं लगाता कि उसके कब्जे में कोई संपत्ति उसकी निजी संपत्ति नहीं है। सख्ती से कहें तो, एक या दूसरे तरीके से कोई अनुमान नहीं है, तथा प्रत्येक मामले में यह सिद्ध करने का भार वादी पर है कि जिन संपत्तियों के संबंध में वह कब्जे की मांग कर रहा है, वे संपत्तियां हैं जिनके कब्जे के लिए वह उस अधिकार के तहत हकदार है जिसके लिए उसने वाद दायर किया है।"

(जोर दिया गया)

23. ***मठ सौना*** (पूर्वोक्त) पर इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ ने स्वामी ***डॉ. किशोर दास जी*** (पूर्वोक्त) मामले में भरोसा किया था, जहां इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया था:

"18. विशुद्ध रूप से, प्रथम सिद्धांतों पर, मेरा मत था कि यदि स्वामी के पास संपत्ति रखने पर कोई रोक नहीं है, तो निश्चित रूप से उक्त स्वामी के वसीयत बनाने पर भी कोई रोक नहीं हो सकती है। वसीयत बनाने या न बनाने पर रोक अनिवार्य रूप से भारतीय

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों द्वारा शासित होनी चाहिए। बेशक, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो किसी हिंदू को, चाहे वह स्वामी या संन्यासी ही क्यों न हो, वसीयत बनाने से रोकता हो। इसलिए, एक संन्यासी विधि में संपत्ति रखने तथा उसे वसीयत करने में पूरी तरह सक्षम है, क्योंकि जब तक विधि (प्रथागत विधि सहित) में कोई रोक नहीं है, जो सिद्ध हो जाए कि वह मौजूद है, तब तक स्वामी/संन्यासी के पास संपत्ति रखने तथा उसे वसीयत करने पर कोई रोक नहीं हो सकती है।

19. <u>प्रथम सिद्धांत के अनुसार मेरा दृष्टिकोण मठ सौना बनाम केदार नाथ उर्फ उमा शंकर, (1982) 1 एस.सी.आर. 659 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के याचिकाकर्ता की ओर से उद्धृत निर्णय से पुष्ट होता है।</u>

(जोर दिया गया)

24. इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने ***स्वामी गुरुदेव मुनि चेला संत सेवा दास जी बनाम राज्य,*** 2015 एससीसी ऑनलाइन डेल 12506 में उपरोक्त निर्णय को बरकरार रखा, तथा सन्यासी की संपत्ति रखने की अक्षमता के बारे में विधि में किसी भी प्रकार की धारणा की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला तथा कहा कि नागरिक मृत्यु केवल सन्यासी की संपत्ति रखने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उत्तराधिकार की सामान्य रेखा को तोड़ती है। इस विधिक सिद्धांत को निम्नलिखित पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है:

"19. इसलिए, कुछ विधिक सिद्धांत उभर कर आते हैं, जिन्हें संन्यासी या तपस्वी की मृत्यु पर लागू किया जाना चाहिए। सबसे पहले, मठवासी संप्रदाय में उसके प्रवेश का परिणाम नागरिक मृत्यु होता है। तब उत्तराधिकार की "सामान्य" रेखा टूट जाती है; सभी संपत्तियां मठ में निहित हो जाती हैं। दूसरे, उसकी मृत्यु के बाद, उसके पास मौजूद संपत्ति को मठवासी संप्रदाय की संपत्ति माना जाना चाहिए। तीसरे, संन्यासी की स्वयं के लिए संपत्ति रखने की क्षमता की कमी के बारे में कोई अनुमान नहीं है।"

(जोर दिया गया)

25. इसी तरह, ***सुलामंगलम*** (पूर्वोक्त) में, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य में अर्जित अधिकार, जो उसकी बौद्धिक गतिविधि का परिणाम है, उसका प्रतिलिप्यधिकार कहलाता है तथा संत या तपस्वी होने के कारण, वह व्यक्ति अपने प्रतिलिप्यधिकार में अनन्य अधिकार नहीं खोता है। सुला मंगलम सिस्टर्स, जिन्होंने गीत के लेखक पुडुकोट्टई के संतनाथ स्वामीगल से प्रतिलिप्यधिकार के हस्तांतरण का दावा किया था, ने प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध दावा दायर किया। प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति यह थी कि स्वामी, एक संत एवं तपस्वी होने के नाते, और दुनिया को त्यागने के बाद यह दावा नहीं कर सकते कि वे गीत के स्वामी थे तथा वे इसे वादी को सौंप सकते थे। इस संदर्भ में, मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"57*. प्रस्तुति करने पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण के लिए यह अटपटा एवं असामान्य है कि*

स्वामीगल ने कंध गुरु कवचम की अपनी रचना पर अनन्य अधिकार सहित पूरी दुनिया को त्याग दिया था और परिणामस्वरूप, वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए समान नहीं हो सकते है।

....

62. *स्वामीगल भले ही संत या तपस्वी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने अपने बौद्धिक श्रम एवं कौशल का उपयोग करके जो साहित्यिक कार्य किया है, उसमें उसका एकाधिकार समाप्त हो गया है। प्रतिलिप्यधिकार विधि को किसी व्यक्ति के प्रतिलिप्यधिकार की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वह पारिवारिक व्यक्ति हो या संत हो।"*

(जोर दिया गया)

26. इसके अतिरिक्त, ***श्री कृष्ण सिंह बनाम मथुरा अहीर,*** (1981) 3 एससीसी 689 में दिया गया निर्णय भी शिक्षाप्रद हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या इसमें वादी, एक शूद्र होने के नाते, संन्यासी या यति बनने के लिए किसी धार्मिक आदेश में नियुक्त किया जा सकता है। इस तथ्यात्मक संदर्भ में, तथा विरासत के विशिष्ट मुद्दे पर, यह देखा गया कि किसी धार्मिक आदेश में प्रवेश, तथा उसके परिणामस्वरूप नागरिक मृत्यु, ऐसे व्यक्तियों द्वारा संपत्ति की बाद की खरीद या धारण को बाधित नहीं करती है। प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे प्रस्तुत किया गया है:

"31. जो व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय में प्रवेश करता है, वह अपने स्वाभाविक परिवार के सदस्यों से अपना संबंध तोड़ लेता है। इसलिए उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता है। धार्मिक संप्रदाय में प्रवेश करना, नागरिक मृत्यु के समान है, जिससे उसका अपने संबंधियों से और साथ ही अपनी संपत्ति से भी संबंध पूरी तरह से टूट जाता है। न तो वह और न ही उसके स्वाभाविक रिश्तेदार एक-दूसरे की संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। धार्मिक संप्रदाय अपनाने वाले व्यक्तियों द्वारा बाद में अर्जित की गई कोई भी संपत्ति उनके धार्मिक संबंधियों को हस्तांतरित हो जाती है। इस आधार पर बहिष्कृत किए गए व्यक्ति तीन श्रेणियों में आते हैं, वानप्रस्थ या संन्यासी; संन्यासी या यति या तपस्वी और ब्रह्मचारी या शाश्वत धार्मिक शिष्य। किसी व्यक्ति को इन श्रेणियों में लाने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी सभी सांसारिक संपत्ति का पूर्ण त्याग करे और सांसारिक मामलों से पूरी तरह और अंतिम रूप से अलग हो जाए। केवल यह तथ्य कि कोई व्यक्ति स्वयं को बैरागी या धार्मिक भिक्षुक कहता है या वास्तव में वह ऐसा है, उसे संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित नहीं करता है। न ही कोई शूद्र इस अयोग्यता के अंतर्गत आता है, जब तक कि वह प्रथा के कारण ऐसा न करता हो। यह नागरिक मृत्यु उस व्यक्ति को निजी संपत्ति अर्जित करने तथा रखने से नहीं रोकती है जो निश्चित रूप से उसके प्राकृतिक रिश्तेदारों पर नहीं बल्कि विरासत के विशेष नियमों के अनुसार हस्तांतरित होगी। लेकिन यह अन्यथा होगा यदि विधि की नज़र में कोई नागरिक मृत्यु नहीं है, लेकिन केवल कुछ धार्मिक विचारों या व्यवसायों वाले व्यक्ति द्वारा धारण करना है [मायनी: हिंदू लॉ एंड यूसेज, 11वां संस्करण, पृ. 721-22]।"

(जोर दिया गया)

27. किसी भी घटना में, वादी के अधिवक्ता द्वारा विज्ञापित निर्णय समान मुद्दों के संबंध में अपने निष्कर्ष में एकमत हैं, अर्थात् संत या तपस्वी द्वारा लिखित कार्यों में अधिकार उनके नाम पर बने रह सकते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पहले सिद्धांतों पर भी, प्रतिवादी के विपरीत दावा कमजोर एवं अस्थिर है तथा एक अस्पष्ट अवधारणा पर आधारित है, जिसे विधि द्वारा अनुमोदित या समर्थन नहीं दिया गया है, एक त्यागी को सन्यासी बनने पर संपत्ति में सभी अधिकारों को स्वचालित रूप से त्यागने के रूप में माना जाता है। प्रतिलिप्यधिकार किसी व्यक्ति में उसके परिश्रम के आधार पर निहित होता है तथा इसलिए, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ विधि द्वारा भी बना रहता है। एक बार जब व्यक्ति विधि द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार का भंडार बन जाता है, तो यह केवल विधिक तरीके से ही उसके लिए समाप्त हो सकता है।

28. यह अधिकार त्यागी के हाथों में तभी समाप्त हो जाएगा, जब व्यक्ति विधि द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के माध्यम से अधिकार हस्तांतरित या त्याग देगा, अन्यथा नहीं। ऐसी स्थिति हो सकती है, जहां यह निहित हो सकता है कि स्वयं को एक मठवासी आदेश के अधीन करके, जिसके आचरण, मौखिक कथन या लेखन द्वारा नियमों पर सहमति एवं स्वीकृति थी, उस अधिकार तथा संपत्ति को उन नियमों

के अनुसार हस्तांतरित माना जाएगा, लेकिन इस काल्पनिक स्थिति में भी यह साबित करने के लिए सबूत की आवश्यकता होती है कि त्यागी ने अपनी संपत्ति को किसी विशेष प्रकार या तरीके से लाभार्थी को हस्तांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। हालाँकि, इस मामले में, वादी न्यास के पक्ष में श्रील प्रभुपाद द्वारा एक स्पष्ट लिखित समनुदेशन था।

29. किसी भी अमूर्तता में आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, इस मामले में मुद्दा स्पष्ट रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादी के पक्ष में तय किया गया है।

30. प्रतिवादी द्वारा व्यादेश स्वीकार करने तथा उसका पालन करने की इच्छा रखने तथा श्रील प्रभुपाद के ऊपर निर्धारित उनके कार्यों के प्रतिलिप्यधिकार के अस्तित्व के आलोक में, ऐसा कोई अन्य पहलू नहीं है जिस पर निर्णय लिया जाना बाकी हो तथा प्रतिवादी के पास दावे का सफलतापूर्वक बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। मौखिक साक्ष्य दर्ज करने से पहले दावे का निपटान न किए जाने का कोई अन्य बाध्यकारी कारण भी नहीं है, खासकर तब जब वह न्यास विलेख जिसके द्वारा वादी के न्यास के पक्ष में प्रतिलिप्यधिकार सौंपा गया था, पंजीकृत है तथा प्रतिवादी उक्त अधिकार का स्वामी, समनुदेशित या अनुज्ञप्तिधारी होने का दावा नहीं करता है। इसके अलावा, प्रतिवादी इस बात पर विवाद नहीं करता है कि जनता को बताई जा रही ये रचनाएँ श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई हैं।

31. मामले के इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्षकारों को विस्तार से सुना गया है, सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के तहत प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है, तथा पक्षकार कोई और दस्तावेजी साक्ष्य दायर नहीं करना चाहते हैं, यह न्यायालय तत्काल आवेदन में गुणागुण पाता है।

32. तदनुसार, वर्तमान आवेदन, सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के तहत अंत.आ. 78/2023, को अनुमति दी जाती है तथा वाद को वादी न्यास के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध वादपत्र के पैराग्राफ 30(क) में प्रार्थना के अनुसार आदेश दिया जाता है।

33. रजिस्ट्री द्वारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार डिक्री शीट तैयार की जाएगी।

34. चूंकि आगामी निर्णय हेतु कुछ भी शेष नहीं बचा है, इसलिए वाद का निपटान किया गया है।

35. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निष्फल किये जाते हैं।

36. निर्णय इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाये।

(अनीषदयाल)
न्यायाधीश

अप्रैल 05,2024/आरके/आरजे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्झेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*